राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषित कार्य एनिकट निर्माण/2018-19/31451-50 दि. 14/8/19

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
डूंगरपुर।

विषय : एनिकट निर्माण कार्यो की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : परियोजना अधिकारी टीएडी उदयपुर का पत्रांक 4692-93 दिनांक 10.6.2019 एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति सागवाडा जिला डूंगरपुर का पत्रांक 73 दिनांक 04.06.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के प्रशासनिक स्वीकृति पत्र कमांक 12493-503 दिनांक 08.03.2019 के कम में प्रासंगिक पत्र विकास अधिकारी,पंचायत समिति सागवाडा जिला डूंगरपुर का पत्रांक 873 दिनांक 04.06.2019 से जारी तकनीकी स्वीकृति अनुसार कॉलम संख्या 4 में अंकित राशि 19.91 लाख रू. की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है –

कार्यकारी एजेन्सी– ग्राम पंचायत (राशि लाखों में)

क्र. स.	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति	
		क./दि.	राशि
1	2	3	4
1	नरेला नाले पर एनीकट निर्माण कार्य डामोरवाडा ग्रा.पं. सरोदा पं.स. सागवाडा जिला डूंगरपुर	2/2019-20 2.6.2019	9.95
2	तडीवाला नाके पर एनिकट निर्माण ग्रा.पं. नान्दोड पं.स. सागवाडा जिला डूंगरपुर	1/2019-20 2.6.2019	9.96
	योग		**19.91**

उपरोक्त कार्य हेतु राशि 19.91 लाख रू. विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 50/2018-19 दिनांक 16.01.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि रू. 1200.93 लाख मे से देय होगी।

कार्यो के संपादन मे निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे–

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। दोहरे व्यय के लिए संबंधित पंचायत समिति एवं कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
3. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।
4. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

5. परियोजना अधिकारी टीएडी द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यकारी एजेन्सी को राशि हस्तांतरित की जाएगी एवं कार्यो के उपयोगिता प्रमाण–पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र समायोजित कर इस कार्यालय को प्रेषित किए जाएगें।
6. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का प्रदश बोर्ड (Display Board) लगाया जावें।

भवदीय

(विकास सीतारामजी भाले)I.A.S
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषित कार्य नहर निर्माण/2018–19/31551-50 दि. 31/5/8/19
प्रतिलिपी :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, डूंगरपुर ।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 50/2018–19 दिनांक 16.01.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि रू. 1200.93 लाख मे से परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा को राशि रू. 19.91 लाख हस्तांतरित करें ।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सागवाडा, जिला डूंगरपुर ।
6. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @gmail.com, Website www.tad.rajasthan.gov.in